कार्यालय प्रथम अपील अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

रमेश कुमार सुथार पीपली चौक भीनमाल	बनाम	राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी बागोडा (राज.))
प्रकरण संख्या		29/2017

अपील अर्न्तगत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

....

उपस्थितिः-
प्रार्थी की ओर से कोई नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी बागोडा (राज.)) उपस्थित।

सुनवाई दिनांक 27.09.2017 **आदेश दिनांकः-04.10.2017**

-: आदेश :-

1. उक्त अपील अपीलार्थी श्री रमेश कुमार सुथार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) बागोडा द्वारा कतिपय सूचनाए प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2017 द्वारा चाही गई सूचनाएं/ आवेदन पर विनिश्चियन प्राप्त नहीं होने पर धारा 19(1) में प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी द्वारा इस बात की जानकारी होते हुये भी कि अपील हमेशा उच्च अधिकारी को की जाती है, उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) के अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बागोडा) को प्रस्तुत की गई, जिसे उन्होने इस कार्यालय को प्रेषित किया। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पद धारण करने वाले अधिकारियो को उनके पद नाम से पदेन राज्य लोक सूचना अधिकारी घोषित किया गया है। इसी क्रम में अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी बागोडा) के नाम से ही प्रस्तुत किया गया है। किन्तु सूचना आवेदन पत्र पर विनिश्चियन विहित समयावधि में प्राप्त नहीं होने पर प्रस्तुत प्रथम अपील श्रीमति रेणु सैनी के व्यक्तिगत नाम से प्रस्तुत की गई है जो सही नहीं है। अतः उक्त अपील का उनवान उपर अंकित अनुसार श्री रमेश कुमार सुथार (अपीलार्थी) बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) बागोडा किया गया है।

2. अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 19 (1) के अर्न्तगत प्रस्तुत अपील में उठाये गये विभिन्न बिन्दुओ का बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार हैः-

2.1. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालोर (राज.) द्वारा धारित व नियंत्रणाधीन सूचना को अभिप्राप्त करने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसको आगे "इस अधिनियम" से संबोधित किया गया है) की धारा 6 की उप धारा (1) के अर्न्तगत विहित आवेदन फीस के पेटे दस रूपये का भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 35 एफ 135852 के साथ संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2017 (जिसको कि आगे "विवादित आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2017" से संबोधित किया गया है) को रजिस्टर्ड डाक के जरिये उक्त प्रत्यर्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

यह तत्थ्यात्मक विवरण है एवं इसकी पुष्टि में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 22.06.2017, पोस्टल आर्डर के अधपन्ने एवं रजिस्ट्री रसीद की प्राप्ति भी प्रस्तुत की गई है। अतः सूचना प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की पुष्टि होती है।

2.2. यह कि इस अधिनियम की धारा 7 की उप धारा(1)सपठीत धारा 7 की उप धारा (3) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर के आवेदन पत्र पर सिर्फ विनिश्चय करना नही है, उस विनिश्चिय प्रति इस अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (1) सपठित उप धारा (3) मे विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ही आवेदक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करानी है। विवादित आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2017 पर कोई विनिश्चय आज दिनांक तक अपीलार्थी (आवेदक) को प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिये इस अधिनियम की धारा

जिला कलेक्टर, जालोर

A 4/2

19 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर रजिस्टर्ड डाक के जरिये आपके समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है, जिसको स्वीकार किया जाना न्योयाचित रहेगा।

उक्त बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा धारा 7(1) व 7(2) को उद्धरित कर सूचना विनिश्चियन निर्धारित समय सीमा में प्राप्त होने का कथन करते हुए चाही गई सूचना, अपील की तिथि तक प्राप्त नहीं होना अंकित करते हुए अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी को अपील सुनवाई का नोटिस दिये जाने पर उनके द्वारा दिनांक 13.09.2017 व 23.09.2017 द्वारा 2 बार प्रत्युतर पेश किए गए है। सुलभ संदर्भ के लिए विस्तृत रूप से प्रस्तुत व पश्चात्वर्ती प्रस्तुत उतर दिनांक 23.09.2017 पर विचार विमर्श कर अभिनिर्धारित किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने उक्त उतर दिनांक 23.09.2017 के पैरा 2 में स्वीकार किया है कि उनको संलग्न " उपखंड अधिकारी बागोडा का पत्रांक/विविध/2017/297 दिनांक 27.07.2017 की प्रति भी आज दिनांक 22.09.2017 को अपीलार्थी को प्राप्त हुई है। " अर्थात उन्हे सूचना प्राप्त हो गई है, किन्तु विलंब से प्राप्त हुई है।

2.3. यह है कि इस अधिनियम 2005 की धारा 7 की उप धारा (8) के अनुसरण में विनिश्चय अपीलार्थी (आवेदक) को उक्त प्रत्यर्थी पक्ष ने उपलब्ध नही कराया है। इससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि विवादित आवेदन पत्र को इस अधिनियम की धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणो में से किसी कारण से अस्वीकार नही किया गया है। अर्थात् अपीलार्थी (आवेदक) को सूचना का अधिकार से वंचित रखने के लिये उक्त प्रत्यर्थी पक्ष ने अपनी मनमर्जी से विवादित आवेदन पत्र को अस्वीकार किया है। जिसको स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। इसलिए आप स्वयं इस अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) सपठित धारा 19 की उपधारा (5) का भली भांति अध्ययन करे तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के नियमो की अनुपालना करते हुए कार्यवाही करे।

यह बिन्दु अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने के समय तक विनिश्चयन प्राप्त नहीं होने के परिपेक्षय में प्रस्तुत किया गया है एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-"आप स्वंय इस अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (1) सपठित धारा 19 की उप धारा (5) का भली भंती अध्ययन करें"

इस संबंध में विनम्र अनुरोध है कि अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम का अतिशय ज्ञान होना एक शुभ संकेत है एवं उसका उपयोग वह स्वंय के लिये अथवा आमजन को शिक्षित करने के लिये करे, यही वांछनीय है। पीठासीन अधिकारी को धारा के अध्ययन हेतु निर्देशित किया जाना समाचीन प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा अपने तर्क रखते समय प्रावधानो का उल्लेख करना ही पर्याप्त होता है। अतः इस बिन्दु पर कोई विनिश्चयन इस अपील आदेश में नहीं किया जा रहा है। वैसे भी यह बिन्दु इस तथ्य के आधार पर अंकित किया गया है कि उन्हे उनके आवेदन पर सूचना / विनिश्चयन प्राप्त नहीं हुआ था, जबकि अब स्वंय अपीलार्थी द्वारा उपर पैरा 2.2 में अंकित विवरण अनुसार स्वीकार किया गया है कि उन्हे लोक सूचना अधिकारी का उतर दिनांक 27.07.2017 प्राप्त हो चुका है।

2.4. यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुए करीब 12 वर्ष हो गये है, लेकिन ना तो आपको (जिला कलक्टर जालोर) और ना तो राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर, जालोर समस्त उपखण्ड अधिकारी व समस्त तहसीलदार) को और ना ही सहायक लोक सूचना अधिकारी (समस्त तहसीलदार) को या तो हकीकत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबंधो की जानकारी नहीं है या फिर आम नागरिको को सूचना का अधिकार से वंचित रखने के लिये जानबूझकर अवज्ञा कर रहे है। जबकि राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रशिक्षण पर लाखो रूपये खर्च किये है।

उक्त बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा जिला कलेक्टर जालोर, राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर, समस्त उपखंड अधिकारी व समस्त तहसीलदार) सहायक लोक सूचना अधिकारी (समस्त तहसीलदार) को हकीकत में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो की जानकारी नहीं होना कथित किया है। मेरी विनम्र राय में अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम में अत्यन्त गहन अध्ययन से विशेषज्ञता प्राप्त हो सकती है, जिसके लिए वे शोध/ अध्यापन कराने हेतु भी स्वतंत्र है, किन्तु समस्त उपखंड अधिकारियों / तहसीलदारो व जिला कलेक्टर / अतिरिक्त जिला कलेक्टर को इस अधिनियम

जिला कलेक्टर,जालोर

का ज्ञान नहीं होने का विनिश्चयन उनके द्वारा किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। यदि उन्हे सूचना के अधिकार से वंचित रखने का कोई अंदेशा है तो वे अपने ज्ञान अनुसार नियमानुसार आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। अतः इस बिन्दु पर कोई विनिश्चयन इस आदेश में नहीं किया जा रहा है।

2.5. यह है कि अपीलार्थी आपको यह भी बताना उचित समझता है कि आम नागरिको को सूचना का अधिकार से वंचित रखने के लिये आप सभी जन-प्रथम अपील अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी, जान बूझ कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबंधो की अवज्ञा करके राजकीय धन एवं राजकीय समय बर्बाद कर रहे हो।

इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा पुनः सभी अधिकारियो पर जानबूझ कर अधिनियम के उपबंधो की अवज्ञा करके राजकीय धन एवं राजकीय समय की बर्बादी करने का आक्षेपित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वंय अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग की बेवसाईट पर प्रसारित प्रथम अपील के प्रारूप का अध्ययन नहीं करके अनावश्यक बिन्दुओ को अपील आवेदन में उल्लेखित किया गया है।

उपखंड अधिकारी जो राज्य लोक सूचना अधिकारी के रूप में अधिसूचित है, को अपने उपखंड के राजस्व संबंधी प्रकरणो में न्यायालय के अधिकार दिए गए है, जिनके तहत उन्हे राजस्व वादो का निर्धारित मापदंडो अनुसार निर्णय किया जाना अपेक्षित है। साथ ही उपखंड अधिकारी अपने उपखंड में केन्द्र एवं राज्य सरकार की सौ से अधिक विभिन्न योजनाओ के सफल क्रियांन्वयन हेतु उतरदायी है, जिनमें उन योजनाओ के प्रचार प्रसार से लेकर आमजनो द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रो की स्वीकृति एवं योजना का सही लाभ पात्र व्यक्तियो को पहुंचाने का दायित्व उपखंड अधिकारी का ही होता है। इसी परिपेक्षय में उपखंड अधिकारी कुछ योजनाओ में आवेदन प्राप्त कर निर्णय करता है। कुछ में अधीनस्थ अधिकारियो द्वारा आवेदन के निर्णयो के विरूद्ध की गई अपीलो पर निर्णय करता है। इन दोनो रूपो में उसका दायित्व उन आमजनो तक योजनाओ का लाभ पंहुचाने का है जो नियमानुसार पात्र है। यही नहीं उपखंड अधिकारी अपने संपूर्ण उपखंड में कानून व्यवस्था को बनाए रखने हेतु भी उतरदायी है। अपने उपखंड में उसे स्थानीय स्तर (पंचायती, नगरीय निकाय) से लेकर लोक सभा तक के चुनाव से संबंधित समस्त कार्य, भू राजस्व एवं अन्य न्यायालयों द्वारा पारित अवार्डो की राशि वसूली से संबंधित समस्त कार्य, भू अभिलेख संधारण से संबंधित समस्त कार्य भी संपादित करने होते है। उपखंड अधिकारी अपने उपखंड में विभिन्न केन्द्र व राज्य स्तर के आयोगो द्वारा निर्धारित कर्तव्यो व दायित्वो तथा प्रदत निर्देशो की पालना हेतु भी उतरदायी है।

सामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त विशिष्ट आपात परिस्थितियों यथा बाढ, अकाल, भूकंप, महामारी इत्यादि में भी संपूर्ण सजगता व संवेदन शीलता के साथ समस्त विभागो से सामंजस्य कर आम जन को तत्काल राहत पहुंचाने का दायित्व भी उपखंड अधिकारी का ही है। यही नहीं, सामान्य परिस्थितियो में उपखंड में सार्वजनिक उपयोग की समस्त आवश्यक सेवाओ यथा चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल बिजली, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सेवाएं, पुलिस, पशुपालन विभाग इत्यादि की सेवाओ को सही रूप में एंव सही समय पर आमजन एवं लक्षित समूह तक पहुचाने का दायित्व भी उपखंड अधिकारी का ही है। इन्ही समस्त कार्यो के साथ साथ सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत पदीय दायित्वो का निभाने का दायित्व भी उपखंड अधिकारी का है। यह तथ्य इस परिपेक्ष्य में भी विचारणीय है कि अपीलार्थी द्वारा क्या सूचना चाही जा रही है। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन दिनांक 26.06.2017 में चाही गई सूचना न तो वृहत लोक हित, न ही राष्ट्रीय महत्व और न ही आत्यावश्यक किस्म की है। ऐसे मामलो में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सेन्ट्रल बोर्ड आफ सैकेण्डरी ऐजूकेशन बनाम आदित्य बंदोपाध्याय में पारित निर्णय दिनांक 09.08.11 में निर्णित किया है कि : "**The Act should not be allowed to be misused or abused, to become a tool to obstruct the national development and integration, or to destroy the peace, tranquility and harmony among its Citizens. Nor should it be converted into a tool of oppression or intimidation of honest officials striving to do their duty. The nation does not want a scenerio where 75% of the staff of public authorities spend 75% of their time in collecting and furnishing information to applicants instead of discharging their duties** " (जैसा कि माननीय मुख्य सूचना आयुक्त ने परिवाद संख्या 38/2017 में दिनांक 25.05.2017 को पारित निर्णय में उल्लेखित किया है।) अतः इस बिन्दु पर उपरोक्त विवेचन के आलोक में कोई विनिश्चयन अपेक्षित नहीं है।

जिला कलेक्टर, जालोर

2.6. यह है कि प्रथम अपील की कार्यवाही में जारी किया जाने वाले नोटिस में विवादित आवेदन पत्र की ओर प्रथम अपील मेमो की विशिष्टियां आवश्यक रूप से विनिर्दिष्ट करे और प्रथम अपील की कार्यवाही में अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से जवाबुलजवाब प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर भी आवश्यक रूप से प्रदान करे।

इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा अपील कार्यवाही में जारी नोटिस में विवादित आवेदन पत्र और अपील मीमो की विशिष्टियां आवश्यक रूप से विर्निदिष्ट करने हेतु निवेदन किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रस्तुत द्वितीय उत्तर दिनांक 23.09.2017 से पुष्टि होती है कि उसे प्रस्तुत अपील की विषय वस्तु की जानकारी है। अपीलार्थी द्वारा अनेको आवेदन भीनमाल उपखंड में नगर पालिका एवं उपखंड कार्यालय के राज्य लोक सूचना अधिकारियो के समक्ष प्रस्तुत किए है। यहां तक कि अपीलीय कार्यालय में भी अनेको अपीले समय समय पर प्रस्तुत की गई है। अतः उनसे इतना तो अपेक्षित ही किया जा सकता है कि वे अपनी स्वंय द्वारा प्रस्तुत अपीलो की विषय वस्तु का भी ध्यान रखे। अतः इस बिन्दु पर कोई विनिश्चयन नहीं किया जा रहा है।

2.7. यह है कि उक्त प्रत्यर्थी पक्ष से कोई विनिश्चय अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए लोक प्राधिकरण - जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जालोर मे उपखण्ड अधिकारी बागोडा की पंक्ति से वरिष्ठ पंक्ति के अधिकारी के पदनाम व कार्यालय पता की जानकारी नही होने की वजह से इस प्रथम अपील को सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बागोडा (राज.) के माध्यम से आपके समक्ष विधिवत रूप से प्रस्तुत की गई है।

इस बिन्दु में भी **जानबूझ कर अपीलार्थी द्वारा गलत कथन किया गया है,** क्योकि स्वंय आवेदक ने सहायक लोक सूचना अधिकारी (पदेन तहसीलदार बागोडा) को प्रस्तुत आवेदन में **"वास्ते- प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जालोर" अंकित किया है।** अतः यह प्रमाणित है कि उसे अपीलीय अधिकारी की जानकारी है किन्तु अनावश्यक दबाव बनाने, राज्य के संसाधनो के विचलन एवं राजकीय मशीनरी के मूल्यवान समय को व्यर्थ करने के उद्देश्य से जानबूझ कर लोक सूचना अधिकारी के अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी को यह अपील प्रस्तुत की है, जो उनके द्वारा इस कार्यालय को भेजी गई। इसके प्रेषण में समय, श्रम व राजकीय संसाधनो का व्यर्थ खर्च करने हेतु अपीलार्थी उतरदायी है।

2.8. यह है कि इस अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील संख्या 5236/2011 उनवान श्री टीकम सिंह बनाम अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका भीनमाल मे पारित निर्णय दिनांक 03.05.2013 के बिन्दु संख्या 2 में उल्लेख किया गया है कि "दिनांक 18.2.2011 के प्रार्थना पत्र पर समय रहते 30 दिवस की अवधि में वांछित सेवा पुस्तिका की प्रति जानबूझकर उपलब्ध नही कराते हुए दिनांक 10.5.2011 को भिजवाई गई। स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहे है। अतः निर्दिष्ट किया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के 21 दिवस में विशेष वाहक भिजवा कर श्री कैलाश व्यास कनिष्ठ अभियन्ता की सेवा पुस्तिका प्राप्त कर वांछित सूचना निःशुल्क प्रदान की जावे। इस आलोक में अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। विलम्ब के लिये चेतावनी दी जाती है।

उक्त पैरा में अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग के अपील संख्या 5236/2011 उनवान श्री टीकम सिंह बनाम अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका भीनमाल मे पारित **निर्णय दिनांक 03.05.2013 को गलत उद्धरित किया गया है।** वस्तुतः अपील संख्या 5236/2011 दिनांक 03.5.2013 को मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निम्न अनुसार निर्णय पारित किया गया था। "2. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने उनके अनुरोध पत्र दिनांक 28.02.11 से 2 बिन्दुओ पर स्पष्ट सूचना की अपेक्षा की थी, न मिलने पर प्रथम अपील प्रस्तुत हुई, परंतु कोई निर्णय न होने से द्वितीय अपील के जरिए अपीलार्थी ने राहत चाही है। प्रत्यर्थी ने विस्तृत अपीलोतर तो प्रस्तुत नहीं किया बल्कि उनके पत्र दिनांक 03.11.11 से आयोग को सूचित करते हुए प्रतिलिपि अपीलार्थी को भेजी, जिसमें एक पृष्ठीय सूचना संलग्न की है। हालांकि अपीलार्थी की ओर से इस सूचना के संदर्भ में कोई प्रतिकार प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन सूचना अनुरोध पत्र के बिन्दुवार नहीं है। अतः प्रत्यर्थी को निर्दिष्ट किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 व 2 की सटीक सूचना इस आदेश की प्राप्ति के 21 दिन में जरिए पंजीकृत डाक से भिजवाना सुनिश्चित करेगें।

जिला कलेक्टर, जालोर

इस आलोक में अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। विलम्ब के लिए जांच कर दोषियो के विरूद्ध कार्यवाही करे।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रदत उक्त निर्णय को जानबूझ कर गलत तथ्य जोड कर उद्धरित किया गया है। उक्त निर्णय में अपीलार्थी द्वारा उद्धरित अनुसार "सेवा पुस्तिका" का कोई उल्लेख नहीं है और न ही " कैलाश व्यास कनिष्ठ अभियन्ता की सेवा पुस्तिका प्राप्त कर वांछित सूचना निशुल्क प्रदान करने " का कोई उल्लेख है। तथ्य यह कि प्रार्थी द्वारा श्रीमति रेणु सैनी की सेवा पुस्तिका की प्रति मांगी गई है। अतः उसे प्रदान करने का बाध्यकारी निर्णय राज्य सूचना आयोग द्वारा होना दर्शाने हेतु अपीलार्थी द्वारा कूटरचित तरीके से राज्य सूचना आयोग के निर्णय को तोड मरोड कर गलत उद्धरित किया गया है। जिसके लिए उचित कार्यवाही हेतु राज्य सूचना आयोग को निवेदन किया जाना उचित होगा।

3. अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2017 द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी, बागोडा) से मांगी गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनके द्वारा पत्रांक/297 दिनांक 27.07.2017 द्वारा दिए गए उतर एवं एवं उस पर अपीलार्थी द्वारा पत्र दिनांक 23.09.2017 द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया का विवेचन निम्नानुसार हैः-

3.1. **श्रीमति रेणु सैनी उपखंड अधिकारी बागोडा, जिला जालोर की सेवा पुस्तिका-** इसके जवाब में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उपखंड अधिकारी की सेवा पुस्तिका इस कार्यालय में संधारित नहीं होती है। इस संबध में अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि चाही गई कतिपय सूचना को जिला कलक्टर कार्यालय से मंगवा कर देने का दायित्व प्रत्यर्थी का था। उपस्थित प्रत्यर्थी द्वारा व्यक्त किया गया कि उक्त सूचना उसकी व्यक्तिगत सूचना है एवं प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई वृहद लोक हित प्रकट नहीं किया गया है, जिसके कारण इसे उपलब्ध कराया जाना लोकहित में आवश्यक हो । अतः उक्त सूचना उपलब्ध नहीं कराई जावे। इस संबध में उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अनुमति याचिका (सिविल) कमांक / 27734/2012 गिरीश रामचंद्र पांडे बनाम केन्द्रीय सूचना आयुक्त में निर्णय दिनांक 03.10.2012 का उद्धरण पेश किया, जिसके अनुसार " **The question whether CIC acting under the RTI Act 2005 was right in denying information regarding the personal matters pertaining to service career on the ground that the information sought was qualified to be "personal information" as defined in clause (j) of section 8(1) of the RTI Act, came up before the Hon'ble Supreme Court of India in the case of Girish Deshpande v/s CIC. In that case CIC had held that the information which has been denied to the appellant essentially falls into two parts- (i) relating to the personal matter pertaining to service career; and (ii) Shri Lute's assets and liabilities, movable and immovable properties and other financial aspects and further held that this information qualifies to be "the personal information as defined in clause (j) of Sec. 8 (1) of RTI Act and the appellant has not been able to convince the commission that disclousure therof is in larger public interest.**

Said decision of CIC was challenged before the Hon'ble Supreme Court of India. Hon'ble Supreme Court, while dismissing the said petition vide order dated 03.10.2012 had held that the performance of an employee / officer in an organisation is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules, which fall under the expression "personal information," the disclosure of which has no relation to any public activity or public interst. On the other hand, the disclosure of which would cause unwarranted invasion of privacy of that individual offcourse in a given case. If Central Public Information Officer or State Public Information Officer or the Appellate Autherity is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information, appropriate orders could be passed, but the petitioner cannot claim those details as a matter of right. It was further held by the Hon'ble Supreme Court that the petitioner in the reffered case has not made a bonafied public inteest in seeking information, the disclousure of such information would cause unwarranted invasion of privacy of the individual under section 8 (1) of the RTI Act."

उक्त तथ्य अपीलार्थी के प्रकरण एवं प्रत्यर्थी के निवेदन पर पूर्णतः लागू होते हैं। अतः इस बिन्दु पर भी अपीलार्थी को सूचना प्रदान किया जाना उचित नहीं होने से इस बिन्दु पर प्रार्थी की प्रथम अपील अस्वीकार की जाती है।

जिला कलेक्टर, जालोर

3.2 **बिन्दु संख्या 2 में प्रार्थी द्वारा श्रीमती रेणू सैनी उपखण्ड अधिकारी, बागौडा के कार्य ग्रहण करने के आदेश की प्रति चाही गई थी,** जो उन्होंने लोक सूचना अधिकारी के पत्र कमांक 297 दिनांक 27.7.2017 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है।

3.3 बिन्दु संख्या 3 में **प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी बागौडा जिला जालोर पर लागू सेवा नियमों की प्रतियां चाही गई,** जिसके प्रत्युत्तर में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 297 दिनांक 27.7.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्थान के सभी प्रशासनिक अधिकारियों पर राजस्थान सेवा नियम लागू होते हैं, उपखण्ड अधिकारी बागौडा पर भी राजस्थान सेवा नियम लागू होते हैं। उक्त नियम राजपत्र में अधिसूचित है एवं बाजार में प्रतियां भी उपलब्ध है। इससे अधिक सूचना लोक सूचना कार्यालय में संधारित नहीं है और न ही उनसे प्रदाय करने की अपेक्षा की जाती है।

3.4 बिन्दु संख्या 4 में प्रार्थी द्वारा **उपखण्ड अधिकारी बागौडा जिला जालोर द्वारा आम नागरिकों के परिवादों पर कार्यवाही, जिस आदेश / नियम / परिपत्र की अनुपालना में की जा रही है उस आदेश /नियम /परिपत्र की प्रतियां चाही गई ।** उक्त बिन्दु के उत्तर में लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनके पत्र कमांक 297 दिनांक 27.7.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा किस प्रकार के परिवादों के निस्तारण या उस पर कार्यवाही बाबत् सूचना चाही गई है, यह अंकित नहीं किया गया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी के पास उपखण्ड मजिस्ट्रेट/ सहायक कलेक्टर/ उपखण्ड अधिकारी के क्षेत्राधिकार के परिवाद पेश होते हैं एवं उन्हें प्रार्थना-पत्र की विविधता के आधार पर नियमानुसार निस्तारण किया जाता है।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त पैरा संख्या 2.5 में उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यो का संक्षिप्त विवरण अंकित किया गया है। उक्त सभी कार्यो के संबंध में आमजनों द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित नियमों / आदेशो / परिपत्रो एवं योजना के दिशा निर्देश के अनुरूप कार्यवाही की जाती है। ऐसे सम्पूर्ण आदेश / नियम / परिपत्रों की प्रतियां तैयार करना/ संग्रहण करना एवं प्रदाय करना उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध संसाधनों को अननुपाती रूप से विचलन करना है। अतः इस बिन्दु पर प्रार्थी की प्रथम अपील अस्वीकार की जाती है।

4. उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.06.2017 को राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बागौडा) को प्रस्तुत सूचना प्रदान करने के अनुरोध के क्रम में प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 22.08.2017 को खारिज किया जाता है।

5. प्रार्थी द्वारा इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर